an>

Title: Need to withdraw AFSPA law from Arunachal Pradesh.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या यह जरूरी था कि अरूणाचल प्रदेश में अफस्पा का जो ड्रेकोनियन कानून है, उसे लागू करना पड़ा। अरूणाचल प्रदेश एक शांति का द्वीप माना जाता है। यहाँ वर्ष 2001 में तिराक, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में इसे लागू किया गया था क्योंकि वहाँ पड़ोसी राज्य और विदेशी उग्रवादी संगठन के लोग आए थे। लेकिन अभी पूरे अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ड्रेकोनियन लॉ है, उसे शीघ्र ही वापस लिया जाए।